

ई-हिन्दूकट के अन्तर्गत जारी..



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
तहसील
आवेदन क्र.
प्रमाणपत्र क्र.

मुरादाबाद
मुरादाबाद
171350030015769
042173005188

जारी दिनांक: 18/05/2017


प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

कु. स्नेहा
श्री देवेन्द्र सिंह
श्रीमती कंचन
, रामेश्वर कालीनी गली नं.-12 लालनपार
मुरादाबाद
मुरादाबाद



उत्तर प्रदेश राज्य की नाइक जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुमूलिक जन जातियों, अनुमूलिक जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुमूलीक एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कु. स्नेहा पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुमूलीक २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुमूलिक जातियों, अनुमूलिक जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिम्यापित किया गया है एवं जो ३०प्र० लोक सेवा अनुमूलिक जातियों, अनुमूलिक जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 दो० मी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, में आज्ञादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये वा इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास थन कर अधिनियम १९७ में यथा विहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता क्रमांक: जयपाल सिंह, राज्य साइबर कैफे
पद: जयपाल सिंह, केन्द्र प्रभारी
स्थान: बुद्धि विहार आवास
विकास, मुरादाबाद, Moradabad
दिनांक: 18/05/2017
हस्ताक्षर एवं मुहर

**SHIV
NARAYAN**

Digitaly Signed by
SHIV NARAYAN
On Personal, S-Uttar
Pradesh

संसाम विधिक जारी/तहसीलदार

डिजिटल हस्ताक्षरित
मुरादाबाद, मुरादाबाद
दिनांक: 18/05/2017

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल शिस्टम द्वारा ईवार किया गया है तथा डिजिटल शिस्टम से हस्ताक्षरित है। यस्ताक्षर केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है।
यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.nic.in> पर इसका पहले आवेदन करें। किर प्रमाणपत्र करें। अकिल कर, सत्यापित किया जा सकता है।